



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 699 राँची, बुधवार, 8 अग्रहायण, 1945 (श०)
29 नवम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना
12 सितम्बर, 2023

संख्या-04/स्था०पद०-02-03/2023 का० 5168--अपर सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री **विधान चन्द्र चौधरी**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-713/03, गृह जिला-गोड्डा), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-04/स्था०पद०-02-03/2023 का० 5169--संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री **अखौरी शशांक सिन्हा**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-725/03, गृह जिला-पलामू), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-04/स्था०पद०-02-03/2023 का० 5170--भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित श्री **मनोज कुमार रंजन**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-736ए/03, गृह जिला-गया), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-04/स्थापद-02-03/2023 कां 5171--संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री **ओनिल क्लेमेन्ट ओड़ेया**, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक-805/03, गृह जिला-हजारीबाग), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-04/स्थापद-02-03/2023 कां 5172--निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) के पद पर पदस्थापित श्री **सौरव कुमार सिन्हा**, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक-827/03, गृह जिला- राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

II. श्री सिन्हा अपने कार्यों के साथ निदेशक वाणिज्य, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

संख्या-04/स्थापद-02-03/2023 कां 5173--अपर समाहर्ता, गुमला के पद पर पदस्थापित श्री **सुधीर कुमार गुप्ता**, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक- 835/03, गृह जिला- धनबाद), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-04/स्थापद-02-03/2023 कां 5174--जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग अधिसूचित- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गुमला श्री **विनोद कुमार**, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक-885ए/03, गृह जिला- नवादा), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अपर समाहर्ता धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-04/स्थापद-02-03/2023 कां 5175--अनुमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री **अरविन्द कुमार लाल**, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक-835/03, गृह जिला- धनबाद), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-04/स्थापद-02-03/2023 कां 5176--भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला के पद पर पदस्थापित सुश्री **सुषमा नीलम सोरेंग**, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक-39/20, गृह जिला- राँची), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक उप निदेशक, पंचायत राज निदेशालय, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-04/स्थापद-02-03/2023 कां 5177--अंचल अधिकारी, जरीडीह, बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री **नरेश रजक**, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक-378/20, गृह जिला- गिरिडीह), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्ता बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

II. श्री नरेश रजक अपने कार्यों के साथ जिला अवर निबंधक, बोकारों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

संख्या-04/स्था०पद०-02-03/2023 का० 5178--कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर के पद पर पद पदस्थापित श्री उदय रजक, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-321/20, गृह जिला-चतरा), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

II. श्री उदय रजक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत धनबाद अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
